न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी महावीरसिह जोधा आर0ए0एस0

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31 / 2019	05.07.2019	30.7.2019

1. दीपाराम पुत्र हेमाराम जाति राईका निवासी शेरगढ जिला जोधपुर
2. उर्जाराम पुत्र हेमाराम जाति राईका निवासी शेरगढ जिला जोधपुर
3. चेनाराम पुत्र हेमाराम जाति राईका निवासी शेरगढ जिला जोधपुर
4. दाखु पत्नी भीखाराम जाति राईका निवासी शेरगढ जिला जोधपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्रसिह भाटी उपस्थित ।
राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की खेत खसरा नम्बर 1234 रकबा 33 बीघा ग्राम शेरगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में आया हुआ है । उक्त खसरा नम्बर 1224 रकबा 33 बीघा का पक्षकारों की आपसी सहमति से बटवाडा दिनाक 18.1 2017 को हो गया था तथा उक्त बटवाडा आदेश की पालना मे नामान्तकरण सख्या 1534 दिनांक 26.4.2008 को स्वीकृत किया गया । उक्त बटवाडा आदेश की पालना मे भरा गया नामान्तरकरण सख्या 1534 दिनांक 26.4.2008 को स्वीकृत किया गया ।

उक्त बटवाडा आदेश की पालना में भरा गया नामान्तकरण सही रूप से स्वीकृत किया गया परन्तु उक्त नामान्तकरण के बाद की जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 मे लिपिकीय त्रुटि से खसरा नम्बर 1224/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा की जगह खसरा नम्बर 1424/6 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा दर्ज कर दिया गया है।

हल्का पटवारी ने सम्वत 2063 से 206 की जमाबंदी मे नामान्तकरण सख्या 1534 में दर्ज खसरा नम्बर 1224/6 की जगह खसरा नम्बर 1424/6 दर्ज कर दिया गया है जो गैर

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

कानूनी है उक्त त्रुटि जो हल्का पटवारी द्वारा की गई है वो दुरूस्ती योग्य है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1224/6 की जगह खसरा नम्बर 1424/6 दर्ज है जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 मे गलत तरीके से दर्ज खसरा नम्बर 1224/6 की जगह 1424/6 को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1224/6 दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया । राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ ने जवाब पेश किया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं राज पेरोकार तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू०राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है । खसरा नम्बर 1424/6 के स्थान पर 1224/6 शुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया । पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner